बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं0– /पटना, दिनांकः–

संकल्प

विषयः– **उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश–कर की राशि का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011(समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–1 में संशोधन के संबंध में।**

राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो दिनांक 01.07.2011 से अगले पाँच वर्षो तक प्रभावी है। राज्य सरकार, बिहार ने एतद्द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–1 के उप शीर्षक **"स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क"** के उप कंडिका–(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप शीर्षक **"प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश–कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति"** एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ–(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया हैः–

"प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश–कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(क) वैसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनका अधिकृत हिस्सा पूँजी या कुल निवेश 200 करोड़ रू0 से कम हो, द्वारा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मशीनरी अथवा कैपटिव पॉवर प्लांट के निर्माण हेतु प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी, यदि इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेश–कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) उप कंडिका–(क) की सुविधा उत्पादन पूर्व उपलब्ध होगी। इकाई में प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आवश्यक होगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवश इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी।

(ग) उप कंडिका–(क) की सुविधा की पात्रता की जाँच वाणिज्य–कर विभाग द्वारा की जाएगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0सं0–4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

Government of Bihar
Department of Industries

No:- /Patna, Dated:

Resolution

Subject:- Regarding amendment in para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar-2011 (as amended from time to time) for provision of reimbursement of 100 percent entry tax paid on Plant and Machinery for establishment of Industries.

The Industrial Incentive Policy, Bihar-2011 has been enforced in the state for the purpose of attracting capital investment which is effective from 01.07.2011 till next five years. The State Government of Bihar has hereby decided to add the following new sub heading **"100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery"** and its provisions related three new sub paras as (a), (b) and (c) after sub para-(c) of sub heading **"Stamp Duty and Registration Fees"** of para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar-2011(as amended from time to time) with immediate effect:-

"100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery.

(a) Such industrial units whose authorised share capital or total investment is below Rs. 200 crores, will get 100 percent reimbursement of entry tax paid on plant and machinery used in the production of goods for sale or on plant and machinery of D.G. Set used in production of goods for sale or on plant and machinery used in the construction of Captive Power Plant if the power generated from such Captive Power Plant is consumed in the production of goods for sale.

(b) facility of the sub para-(a) will be available before production. Establishment of plant and machinery will be compulsory in the unit of which site inspection shall be done by BIADA / General Manager, District Industries Centre. If reimbursement has not been obtained by such units due to any reason then reimbursement will be made to the unit after production.

(c) Examination of the eligibility of facility of sub para-(a) will be done by the Commercial Taxes Department."

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-
(Tripurari Sharan)
Principal Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna.

ज्ञापांक:– /पटना, दिनांक–
सं0सं0–4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–   /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–   /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–   /पटना, दिनांक–
सं0सं0–4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–   /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1652 /पटना, दिनांक– 02.09.15
सं0सं0–4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015
प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/~~अध्यक्ष~~, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज/अध्यक्ष, सी0आई0आई0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

3